



कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां

संशोधित

क0 नं0 121, द्वितीय तल, जिलापरिषद् भवन, मिनीसचिवालय, कोटारोड, बारां (राज0) 325205

I.C.D.S E-mail address- ddbaran.wcd@rajasthan.gov.in. ddbaran.wcd@gmail.com दूरभाष नं0- 07453-237012

क्रमांक: विज्ञप्ति/ म.बा.वि./2023-24/1245

दिनांक : 28/6/2023

विज्ञप्ति संख्या -2/ 2023

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाडी कार्यकर्ता/ मिनीकार्यकर्ता/ सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ईमेल आई0डी0	ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय का नाम	ग्राम/वार्ड	आंगनबाडी केंद्र का नाम	रिक्त मानदेय पद का नाम	आरक्षित वर्ग
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी मांगरोल	माल बमोरी	बालापुरा	बालापुरा	सहायिका	GEN
2		रायथल	रायथल	रायथल-1	सहायिका	GEN
3		बमोरीकलां	बमोरीकलां	बमोरीकलां-1	सहायिका	GEN
4	बाल विकास परि0 अधिकारी, अंता antacdpo@gmail.com	चहेडिया	चहेडिया	चहेडिया	सहायिका	Mino.
5		बडवा	बडवा-2	बडवा-2	सहायिका	GEN
6		बालदडा	बालदडा	बालदडा-1	सहायिका	Mino.
8	बाल विकास परि0 अधिकारी, अटरू cdpoatru@gmail.com	ननावता	बडौदिया	बडौदिया	सहायिका	GEN
9		ढोटी	छजावा	छजावा	सहायिका	GEN
10		मियाडा	रेबारपुरा	रेबारपुरा	कार्यकर्ता	GEN
11	बाल विकास परि0 अधिकारी, बारां cdporural93@gmail.com	लिसाडिया	समसपुर	समसपुर-1	सहायिका	GEN
12	बाल विकास परि0 अधिकारी, छबडा cdpochhabra@gmail.com	गोडियामेहर	गोडियामेहर	गोडियामेहर	कार्यकर्ता	GEN
13		मूंडला	बल्हारपुर	बल्हारपुर	कार्यकर्ता	GEN
14		खोपर	भंवर	भंवर	कार्यकर्ता	GEN
15		कडैयावन	कडैयावन	कडैयावन-1	कार्यकर्ता	GEN
16		बाहरी	खांखरा	खांखरा-1	कार्यकर्ता	GEN
17		झरखेडी	भंवर	भंवर	सहायिका	GEN
18		झरखेडी	बिन्दाराडी	बिन्दाराडी	सहायिका	GEN
19		तेलनी	जाला	जाला	सहायिका	ST
20		पाली	काबरखोह	काबरखोह	सहायिका	ST
21		चांचोडा	शंकरकॉलोनी	शंकरकॉलोनी	सहायिका	SC
22		बाल विकास परि0 अधिकारी छीपाबडौद cdpochhipabarod@gmail.com	काल्पाजागीर	बरसत	बरसत-1	कार्यकर्ता
23	छीपाबडौद		छीपाबडौद	छीपाबडौद-6	कार्यकर्ता	GEN
24	मानपुरा		मानपुरा	मानपुरा-1	सहायिका	GEN
25	बाल विकास परि0 अधिकारी, किशनगंज cdpo.kishanganj@rajasthan.gov.in	पीपल्दाकलां	पीपल्दाकलां	पीपल्दाकलां-2	सहायिका	GEN
26		गरडा	गरडा	गरडा-2	सहायिका	GEN
27		करवरीकलां	करवरीकलां	करवरीकलां-1	सहायिका	GEN
28		खण्डेला	खण्डेला	खण्डेला-2	सहायिका	GEN
29		रेलावन	रेलावन	रेलावन-1	सहायिका	GEN
30	बाल विकास परि0 अधिकारी, शाहबाद shahbadcdpo14@gmail.com	बिची	बिची	आमखो	कार्यकर्ता	ST
31		नाटई	सिलोरा	सिलोरा	सहायिका	ST
32		गणेशपुरा	गणेशपुरा	गणेशपुरा	कार्यकर्ता	GEN
33		समरानिया	समरानिया	समरानिया-2	कार्यकर्ता	GEN

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाडी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनबाडी केंद्र परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/ सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवी उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- आवेदक का विवाहित होना अनिवार्य है।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित -प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त, कुष्ठ, बौनापन, तेजाब अकर्मण के पीडित, पेशीय दुष्प्रेषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाडी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।

5. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
6. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
7. तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
8. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 के अनुसार मूल्यांकन का एक मापदण्ड निर्धारित जिसे संबंधित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
9. पिछड़ा वर्ग नॉन किमिलियर के प्रमाण पत्र व आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार मान्य होगा।
10. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका / प्रमाण पत्र (2) सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग /आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी /साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA/O-level/Telly के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
11. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस .को सांय 5:00 बजे तक जमा करा सकेगे । अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
12. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
13. जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
14. इस संबंध में विस्तृत जानकारी उप निदेशक कार्यालय/संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त की जा सकती है।
15. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे।

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां

दिनांक : 28/6/2023

क्रमांक: विज्ञप्ति/ म.बा.वि./2023-24/ 1246-81
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां।
3. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति दो (2) राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में DIPR दर पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करावे।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, बारां।
5. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. उप खण्ड अधिकारी, समस्त..... जिला बारां।/ जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. आयुक्त, नगर परिषद, बारां/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, अन्ता/छबड़ा/मांगरोल/अटरू।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त..... जिला बारां।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त.....जिला बारां को भेजकर लेख है कि आगामी ग्राम सभा में उक्त रिक्त पदों के चयन की कार्यवाही विभागीय परिपत्रों के अनुसार कराना सुनिश्चित करे। साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करे।
10. सरपंच/सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत..... द्वारा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां